फर्द अहकाम

नियम– 26

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी भादरा मुकाम भादरा

चरणसिंह बनाम कृष्ण कुमार आदि

किस्म मुकदमा – 212 आरटीएक्ट मुकदमा नम्बरः– 106/2025

ोख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
1.2025	आज यह प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा वकील प्रार्थी के द्वारा पेश किया गया। प्रकरण पर सिगेदार की रिपोर्ट होने के बाद प्रकरण दर्ज किया गया। प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट पर वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सूनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया वकील प्रार्थी की बहस एवं प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का सिद्वान्त प्रथम दृष्ट्या प्रार्थी के पक्ष में होने के कारण अप्रार्थीगण के विरूद्व विवादित आराजी रोही मौजा पचारवाली के खाता संख्या 39/82 की कुल 23.8240 है0 में अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 के हिस्से तक आराजी भूमि के राजस्व रिकॉर्ड व मौका क़ी यथास्थिति बनाये रखें। वकील प्रार्थी को अप्रार्थीगण की तलबी जरिये रजिस्ट्रर्ड सम्मन/नोटिस से करवाई जाकर रसीदें पेश करे। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 09.12.2025 को पेश हो। भागिरथ राम उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा	
9/12/25	पत्रावली पेश हुई। वकुलाए फरीकेन उपस्थित। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से वकालतनामा मूल वाद में संलग्न है पत्रावली वास्ते जवाब अप्रार्थी सं. 1 व तलबी शेष हेतु दिनांक 15.12.25 को पेश हो।	
15/12/25	वकील उभयपक्ष उपस्थित। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से जवाब पेश किया नकल [illegible] प्रा.प. [illegible] किया गया। पत्रावली वास्ते शेष [illegible] दिनांक 23.12.25 को पेश हो।	
28/12/25	वकील उभयपक्ष उपस्थित। बहस सुनी गई। चूंकि प्रथम दृष्ट्या अपूर्णनीय क्षति एवं सुविधा का	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2026.05.07 11:59:49 IST
Reason: SelfAttested

संतुलन प्रार्थी के पक्ष में होने के कारण अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी। परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं बहस के बिन्दुओं पर मनन करने पर पाया कि प्रथम दृष्टया जारी अस्थाई निषेधाज्ञा से अप्रार्थी सं. 1 के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है एवं उसके खातेदारी अधिकारों का हनन होता है अतः सुविधा का संतुलन अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में प्रतीत होने के कारण पत्रावली में दिनांक 4.11.2025 को जारी अंतरिम निषे-
-धाज्ञा में आंशिक संशोधन किया जाकर अप्रार्थी सं. 1 के हक व हिस्से तक अपास्त की जाती है। शेष आदेश यथावत् रहेगा पत्रावली वास्ते शेष अप्रार्थीगण तलबी दिनांक 6.2.2026 को पेश हो।

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी (न्यायालय) ... जिला-हनुमानगढ़

6/2/26 वकील वादी/प्रतिवादी/प्रार्थी/अप्रार्थी उप.
पत्रावली गत आदेशानुसार वास्ते ... तलबी
दिनांक 17/4/26 को पेश हो। (हस्ताक्षर)

17/4/26 पत्रावली पेश हुई। वकुलाए फरीक उप०। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 28/5/26 को पेश हो।

(हस्ताक्षर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2026.05.07 11:59:49 IST
Reason: SelfAttested

28/4/26 पत्रावली आज प्रार्थी के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पेशी में ली गई। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पक्षकारान का आपस में बाहमी राजीनामा हो चुका है इसलिए प्रार्थी

प्रार्थी/वाद नहीं चाहता है
परमसिंह
प. को
Sd/-

हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
उक्त दरख्वास्त में आगामी कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। इसलिए उक्त पत्रावली को आज की पेशी में लिया जाकर विड्रा खारिज किये जावें। प्रार्थना पत्र व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण प्रारम्भिक स्टेज पर है। अतः प्रकरण को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), भादरा (जिला-हनुमानगढ़)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2026.05.07 11:59:49 IST
Reason: SelfAttested